न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 540/2018

निर्णय दिनांक :–04.07.19

उनवानी दावा :

अर्जुनलाल पुत्र सुखपाल जाति गुर्जर आयु 65 साल निवासी सरकावास तहसील दूनी जिला–टोंक

– प्रार्थी –

बनाम

1.प्रेमलाल पुत्र हरजी जाति गुर्जर आयु निवासी सरकावास तहसील दूनी जिला–टोंक
2.सीताराम पुत्र हरजी जाति गुर्जर आयु निवासी सरकावास तहसील दूनी जिला–टोंक
3.राजा बेवा हरजी जाति गुर्जर आयु निवासी सरकावास तहसील दूनी जिला–टोंक

– अप्रार्थीगण –

–उपस्थिति –

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात से कोई संबंध नही है, प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि का कोई बेचान, गिरवीनामा भी अप्रार्थीगण के हक में नही लिखा है फिर भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते है प्रार्थी को फसल बोने नही देते है फसल काटने नही देते है ओर मना करने पर लडाई झगडा करते है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के खेत कई बार पडत रह जाता है जिस कारण प्रार्थी को काफी आर्थिक हानि होती है।

प्रार्थी गरीब, काश्तकार पेशा व्यक्ति है अप्रार्थीगण का मुकाबला करने में असमर्थ है अप्रार्थीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है प्रार्थी व उनके मध्य कई बार कब्जे काश्त में मजाहमत को लेकर लडाई झगडा हो चुका है इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाये कि वह स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर–चाकर या अन्य पारिवारिक व्यक्ति के प्रार्थी के खातेदारी के उपरोक्त खेत ख0नं0 275 वाके ग्राम सरकावास में प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत नही करे प्रार्थी को फसल बोने व फसल काटने में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नही करे ओर ताफेसला वाद पाबंद रहे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजे जमाबन्दी संम्वत 2071–74 वाके ग्राम सरकावास तहसील दूनी में प्रार्थी खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण स्थायी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वे जमाबन्दी संम्वत 2071–74 के ख. नं 275 रकबा 3.28 है0 में प्रार्थी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी प्रकार से या अन्य माध्यम से करावे। ताफैसलावाद पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 04.07.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली